रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 590] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 734(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम 1993 में,—

(क) नियम 6 के उप-नियम (2) में "प्ररूप 1 या प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर " रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के प्ररूप 8 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में" शब्द और अंक रखें जाएंगे;

(ख) नियम 13 के, परंतुक में, " प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में "शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर" रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 के प्ररूप 8 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में " शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ग) नियम 14 में,-

(i) उप नियम(3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियमों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) कोई रेल सेवक जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है और पेंशन संदाय आदेश के जारी होने के समय पर प्राधिकृत होते हुए पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय की वांछा करता है, वह सेवानिवृत्ति की

तारीख के पहले पेंशन कागज-पत्रों के साथ पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्ररूप 8 में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(3क) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट कोई रेल सेवक पेंशन कागज-पत्रों और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्ररूप 8 की प्रस्तुति के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता की संराशीकरण के लिए आवेदन करने की वांछा करता है तो वह उसी के लिए प्ररूप 2 में आवेदन करेगा।

(3ख) उप-नियम(3) या उप-नियम (3क) के अधीन पेंशन की प्रतिशतता की संराशीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे, अर्थात:-

(क) रेल सेवक केवल अधिवर्षिता की पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है;

(ख) इन नियमों के प्ररूप 2 में या रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 के प्ररूप 8 में कार्यालय के प्रधान को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि यह अधिवर्षिता की अपश्चात से कम से कम तीन मास पूर्व कार्यालय के प्रधान को पहुंच सके;

(ग) ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से तीन मासों से कम अवधि से पहले प्राप्त होता है; और

(घ) रेल पेंशन की संराशीकृत मूल्य के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाती है या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व वह पेंशन के दावे को समपहृत करता है।"

(घ) नियम 16 के, उप-नियम(3) में,—

(i) खंड (क) में, " प्ररूप 2" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर" रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 के प्ररूप 8 में या इन नियमों के प्ररूप 2" में शब्द, अंक कोष्ठक और अक्षर रखें जाएंगे।

(ii) खंड (ख) के उप-खंड (i) में, " प्ररूप 2" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 के प्ररूप 8 या इन नियमों के प्ररूप 2 में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ड.) प्ररूप 1, प्ररूप 2 और प्ररूप 3 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 1"

चिकित्सीय परीक्षा के बिना पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन

[नियम 6(2), 7(1), 13, 14, 15(1) & (2), 16(1) & (2) और 17(1) & (2) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग 1

सेवा में,

....

....

(यहां कार्यालय प्रधान का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय : चिकित्सीय परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार नीचे यथा उपदर्शित अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूँ. आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं-

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) … … … …
2. पिता/पति का नाम … … … …
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम … … … …
4. कार्यालय/विभाग/मंत्रालय का नाम, जहां नियोजित था … … … …
5. जन्म की तारीख (ईसवी सन् में) … … … …
6. सेवानिवृत्ति की तारीख … … … …
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है … … … …
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) … … … …
9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है
   (i) संख्या
   (ii) तारीख
   (iii) उस लेखा अधिकारी का पद नाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है
10. बैंक के खाते का ब्यौरा जिसमें प्रत्येक मास मासिक पेंशन जमा की जा रही हैः
   (i) बैंक और शाखा का नाम
   (ii) खाता संख्या
   (iii) बीएसआर कोड

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

भाग 2

अभिस्वीकृति

श्री...................................(नाम),................................ (पूर्व पदनाम) से चिकित्सीय परीक्षा के बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1 के भाग I में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

टिप्पणः- इस अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षरित, स्टांपित और दिनांकित कर और प्ररूप से विलगन करके आवेदक को दे दी जाएगी. यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकृत किया जाएगा और अभिस्वीकृति रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी।

भाग 3

लेखा अधिकारी.................................(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित किः-

(i) आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं,

(ii) आवेदक चिकित्सीय परीक्षा के बिना ही अपनी पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण करने का पात्र है.

(iii) प्राधिकृत की गई पेंशन की रकम [यदि पेंशन की अंतिम रकम को प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 91 के तहत अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें]

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान ....रु. होता है.

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम .... रु. होगी।

2. अनुरोध किया जाता है कि रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 के नियम 16 के अनुसार पेंशन के संराशीकृत मूल्यों की रकम का संदाय प्राधिकृत करने के लिए आगे की कार्यवाही की जाए।

3. प्ररूप के भाग 1 की रसीद भाग 2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को तारीख.................को अग्रेषित कर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

प्ररूप 2

चिकित्सीय परीक्षा के बिना अधिवर्षिता पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप यदि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्ररूप 8 में इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है

[नियम 6(2), 13, 14(3), (3क), 3(ख), 15(1) और 16(3) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के कम से कम तीन मास पूर्व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग I

सेवा में,

....

....

(यहां कार्यालय प्रधान का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय : चिकित्सीय परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार नीचे यथा उपदर्शित अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूँ. आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं-

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता/पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...
4. कार्यालय/विभाग/मंत्रालय का नाम, जहां नियोजित था ... ...
5. जन्म की तारीख (ईसवी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है ... ...

8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) … … … …

9. बैंक के खाते का ब्यौरा जिसमें प्रत्येक मास मासिक पेंशन जमा की जाएगी।

(i) बैंक और शाखा का नाम

(ii) खाता संख्या

(iii) बीएसआर कोड

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

भाग 2

अभिस्वीकृति

श्री...................................(नाम),................................. (पदनाम) से चिकित्सीय परीक्षा के बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1 के भाग I में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

टिप्पणः- यदि आवेदन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 मास के पूर्व कार्यालय प्रधान द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो यह अभिस्वीकृति प्ररूप से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी। यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकृत किया जाएगा और अभिस्वीकृति रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी। यदि यह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त होता है तो वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह उस तारीख को या उसके पूर्व डाक में डाला गया हो, और आवेदक को उस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

भाग 3

लेखा अधिकारी.................................(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि:-

(i) आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं,

(ii) आवेदक चिकित्सीय परीक्षा के बिना ही अपनी पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण करने का पात्र है.

(iii) प्राधिकृत की गई पेंशन की रकम [यदि पेंशन की अंतिम रकम को प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो रेल (पेंशन) नियम 1993 के नियम 91 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें]

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान ....रु. होता है।

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम ....रु. होगी।

2. आवेदक के पेंशन संबंधी कागजपत्र जो सभी प्रकार से पूरे थे, इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के पत्र संख्या ....तारीख ....के अधीन अग्रेषित कर दिए गए थे। यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय पेंशन संदाय आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है जो आवेदक की सेवानिवृत्ति से कम से कम एक मास पूर्व जारी किया जा सकता है।

3. प्ररूप के भाग 1 की अभिस्वीकृति भाग 2 में अभिस्वीकृति कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को तारीख.................को अग्रेषित कर दिया गया है ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

प्ररूप 3

नियम 19 में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् पेशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

[नियम 6(2), 10(3), 14(2), 14(2), 15(2), 20, 21(1), 21(2), 21(3), 22(1) और 26(2) देखिए]

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग-I

फोटो के लिए स्थान

सेवा में,

....
....
....
(यहां कार्यालय प्रधान का पदनाम और पूरा
पता उपदर्शित करें)

विषय :-चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं, रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। मैंने आवेदन पर अपनी एक स्वप्रमाणित फोटो चिपका दी है और उसकी एक गैर अनुप्रमाणित फोटो संलग्न है। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:—

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता/पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...
4. कार्यालय/विभाग/मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित था ... ...
5. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख .. ..
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्ति हुआ
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता ... ...
   (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें)
9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है
   (i) संख्या
   (ii) तारीख
   (iii) उस लेखा अधिकारी का पदनाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है
10. बैंक के खाते का ब्यौरा, जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की जा रही है
    (i) बैंक और शाखा का नाम
    (ii) खाता संख्या
    (iii) बीएसआर कोड

11. वह अनुमानित तारीख जिससे संराशीकरण की वांछा की गई है। ... ...
12. पहले से ही संराशीकरण पेंशन की रकम, यदि कोई है। ... ...
13. उस स्थान की वरीयता जहां चिकित्सा परीक्षा कराने के इच्छुक हैं ... ...

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक पता

टिप्पण : पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय उस संवितरक प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा जिससे पेंशन ली जा रही है।

भाग-2

अभिस्वीकृति

मैंने, श्री/कुमारी/श्रीमती......................(नाम)..............(पूर्व पदनाम) से चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 3 के भाग 1 में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

भाग- 3

लेखा अधिकारी...............(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और सही हैं और आवेदक चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण कराने का पात्र है।

2. यह अनुरोध है कि प्ररूप के भाग 4 को पूरा करके यथासंभव शीघ्र इस कार्यालय को लौटा दिया जाए।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय प्रधान

भाग-4

(लेखा अधिकारी द्वारा पूरा किया जाए)

1. आवेदक का नाम ... ...
2. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...
3. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
4. पेंशन की रकम, जिसके अंतर्गत अनंतिम पेंशन सम्मिलित की गई है, यदि अंतिम पेंशन प्राधिकृत नहीं हैं ... ...
5. पेंशन का वर्ग ... ...
6. उपर्युक्त मद 4 में उल्लिखित रकम में से पेंशन की रकम, जिसे संराशीकृत कराने की अनुज्ञा दी जाए। ... ...

निम्नलिखित के आधार पर		
प्रसमान्य आयु	जोड़ा गया एक वर्ष	जोड़े गए दो वर्ष
....................रु.	....................रु.	....................रु.

7. (i) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख, जो............. है, के पूर्व हो जाता है तो संदेय रकम .... रु.

(ii) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख के पश्चात् आत्यंतिक हो जाता है, संदेय रकम....... रु.

8. संलग्नकों की संख्या, यदि कोई है
[नीचे टिप्पण देखें]

स्थान : लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम

तारीख :

प्रतिहस्ताक्षरित (कार्यालय प्रधान)
पूरा पता..............

टिप्पण: यदि आवेदक को अशक्त पेंशन मंजूर की गई है या उसने अपनी पेंशन के एक भाग को संराशिकृत किया है या वास्तविक आयु में जोड़े गए वर्षों के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से इंकार किया है या स्वस्थता के आधार पर संराशीकरण से नामंजूर किया गया है, तो लेखा अधिकारी को प्ररूप के साथ आवेदक के मामले की रिपोर्ट या विवरण संलग्न की जानी चाहिए।

टिप्पण: मूल नियम सं. का.अ. 930(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1993 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् नियमानुसार संशोधित किए गए:

मद सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड 2 में प्रकाशित का.आ.सं. प्रकाशन की तारीख	
1	2	3	4	5
(1)	एफ(ई)III/2003/पीएन1/38(संशोधन)	30.12.2003	1489(अ)	30.12.2003
(2)	एफ(ई)III/2003/पीएन1/25	24.01.2005	400	24.01.2005
(3)	2011/एफ(ई)III (2)/13	14.01.2013		

[फा. सं. 2015/एफ(ई)III/1(2)/8]

तनवीर अहमद, कार्यपालक निदेशक वित्त (स्था.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

G.S.R.734(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Services (Commutation of Pension) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993, -

(a) In rule 6, in sub-rule (2), for the words and figures "in Form 1, Form 2 or Form 3", the words, figures and brackets "in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or in Form 1 or Form 2 or Form 3 of these rules" shall be substituted;

(b) In rule 13, in the proviso, for the words, figures and letter "in Form 1 or Form 2", the words, figures and brackets "in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or in Form 1 or Form 2 of these rules" shall be substituted;

(c) In rule14, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) A railway servant who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorised at the time of issue of the pension payment order, shall be eligible to apply in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 for commutation of a percentage of pension along with pension papers prior to the date of retirement.

(3A) If a railway servant referred to in sub-rule (3) desires to apply for commutation of a percentage of pension after submission of pension papers and Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, he shall apply for the same in Form 2.

(3B) The application for commutation of a percentage of pension under sub-rule (3) or sub-rule (3A) shall be subject to the following; namely:—

(a) the railway servant retires on superannuation pension only;

(b) the application is submitted to the Head of Office in Form 2 of these rules or in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, so as to reach the Head of Office not later than three months before the date of superannuation;

(c) no such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the railway servant; and

(d) the railway shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the Railway servant dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement.";

(d) in rule 16, in sub-rule (3), -

(i) in clause (a), for the word and figure "Form 2", the words, figures and brackets "in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or Form 2 of these rules" shall be substituted;

(ii) in clause (b), in sub-clause (i), for the word and figure "Form 2", the words, figures and brackets "in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or Form 2 of these rules" shall be substituted;

(e) for Form 1, Form 2 and Form 3, the following shall respectively be substituted, namely:-

"FORM 1

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION

[See Rules 6(2), 7(1), 13, 14, 15(1) & (2), 16(1) & (2) and 17(1) & (2)]

(To be submitted in duplicate after retirement but within one year of the date of retirement)

PART I

To

The………………………………………………

…………………………………………………..

(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension without medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the provisions of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993. The necessary particulars are furnished below –

1. Name (in Block Letters) … … …
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement … … …
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed … … …
5. Date of birth (by Christian era) … … …
6. Date of retirement … … …
7. Class of pension on which retired … … …
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted
   (indicate percentage, equal to or less than 40%) … … …
9. Details of Pension Payment Order, if issued
   (i) Number
   (ii) Date
   (iii) Designation of the Accounts Officer who authorized the pension
10. Details of Bank Account to which monthly pension is being credited:
   (i) Name of Bank and Branch
   (ii) Account No.
   (iii) BSR Code,

Place: Signature

Date: Postal Address

PART II

ACKNOWLEDGMENT

Received from Shri ……………………………….(name),………………………..(former designation), application in Part I of Form 1 for the commutation of a percentage of pension without medical examination.

Place: Signature

Date: Head of Office

NOTE. - This acknowledgment is to be signed, stamped and dated and is to be detached from the Form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the same day and the acknowledgment sent under registered cover.

PART III

Forwarded to the Accounts Officer ……………………………………(here indicate the address and designation) with the remarks that –

(i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct;

(ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination;

(iii) Amount of pension authorized. [In case final amount of pension has not been authorized, indicate the amount of provisional pension sanctioned under Rule 91 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993]

(iv) the commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at present comes to Rs…………………………………..

(v) the amount of residuary pension after commutation will be Rs…………………………..

2. It is requested that further action to authorize the payment of the amount of commuted value of pension may be taken as in Rule 16 of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

3. The receipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded separately to the applicant on…………………………

Place: Signature

Date: Head of Office

FORM 2

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF SUPERANNUTATION PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION IF NOT APPLIED FOR IN FORM 8 OF RAILWAY SERVICES (PENSION) RULES, 1993

[See Rules 6(2), 13, 14(3), (3A), (3B), 15(1) and 16(3)]

(To be submitted in duplicate at least three months before the date of retirement)

PART I

To

The……………………………………

………………………………………..

(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension without medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the provisions of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993. The necessary particulars are furnished below –

1. Name (in Block Letters) … … …
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement … … …
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed … … …
5. Date of birth (by Christian era) … … …
6. Date of retirement … … …
7. Class of pension on which retired … … …
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) … … …
9. Details of Bank Account to which monthly pension shall be credited:
   (i) Name of Bank and Branch
   (ii) Account No.
   (iii) BSR Code;

Place: Signature

Date: Postal Address

PART II

ACKNOWLEDGMENT

Received from Shri……………………………(name)………………………..(designation), application in Part I of Form 1-A for the commutation of a percentage of pension without medical examination.

Place: Signature

Date: Head of Office

NOTE. – If the application has been received by the Head of Office at least 3 months before the date of retirement on superannuation, this acknowledgment should be detached from the Form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the same day and the acknowledgment sent under registered cover to the applicant. In case it is received after the specified date, it should be accepted only if it has been put into the post on or before that date subject to the production of evidence to that effect by the applicant.

PART III

Forwarded to the Accounts Officer…………………………………………(here indicate the address and designation) with the remarks that –

(i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct;

(ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination;

(iii) Amount of pension authorized. [In case final amount of pension has not been authorized, indicate the amount of provisional pension sanctioned under Rule 91 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993]

(iv) The commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at present comes to Rs…………………………………………..

(v) The amount of residuary pension after commutation will be Rs…………………………………

2. The pension papers of the applicant completed in all respects were forwarded under this Ministry/Department/ Office letter No………………………, dated ………………………. It is requested that the payment of commuted value of pension may be authorized through the Pension Payment Order which may be issued at least one month before the retirement of the applicant.

3. The receipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded separately to the applicant on ……………………………………

Place: Signature

Date: Head of Office

FORM 3

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION AFTER MEDICAL EXAMINATION BY AN APPLICANT REFERRED TO IN RULE 19

[see Rules 6(2), 10(3), 14(2), 15(2), 20, 21(1), 21(2), 21(3), 22(1) and 26(2)]

(To be submitted in duplicate)

PART-I

SPACE FOR PHOTOGRAPH

To

The…………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension after medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993. A self-attested copy of my photograph is pasted on the application and an unattested copy is enclosed. The necessary particulars are furnished below –

1. Name (in Block Letters) … … …
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement … … …
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed … … …
5. Date of birth (by Christian era) … … …
6. Date of retirement … … …
7. Class of pension on which retired … … …
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) … … …
9. Details of Pension Payment Order, if issued
   (i) Number
   (ii) Date
   (iii) Designation of the Accounts Officer who authorized the pension
10. Details of Bank Account to which monthly pension is being credited:
    (i) Name of Bank and Branch
    (ii) Account No.
    (iii) BSR Code,
11. Approximate date from which commutation is desired to have effect … … …
12. The amount of pension already commuted, if any… … …
13. Preference for station where medical examination is desired to take place … …..

Place: Signature

Date: Postal Address…………

NOTE. – The payment of commuted value of pension shall be made through the disbursing authority from which pension is being drawn.

PART-II

ACKNOWLEDGMENT

Received from Shri/Kum./Smt…………………………………………………………………………….(name) ……………………………….(former designation) application in Part I of Form 3 for commutation of a percentage of pension after medical examination.

Place: Signature

Date: Head of Office

PART-III

Forwarded to the Accounts Officer…………………………………………..(here indicate the address and designation) with the remarks that the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct and the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted after medical examination.

2. It is requested that Part IV of the Form may be completed and returned to this office as early as possible.

Place: Signature

Date: Head of Office

PART-IV

(To be completed by the Accounts Officer)

1. Name of the applicant … … …
2. Date of birth (by Christian era) … … …
3. Date of retirement … … …
4. Amount of pension including provisional pension, If final pension not authorized … … …
5. Class of pension … … …
6. Amount of pension out of the amount in item 4 above that may be allowed to be commuted- … … …

On the basis of		
Normal Age	1 added year	2 added years
Rs……………………….	Rs……………………….	Rs………………………

7. (i) Sum payable if commutation becomes before the applicant's next birthday, which falls on ………………… Rs …………………………………….

   (ii) Sum payable if commutation becomes absolute after the applicant's next birthday Rs………………….

8. Number of enclosures, if any [See Note below] … … …

Place: Signature and

Date: Designation of the

Accounts Officer

Countersigned (Head of Office)

Full address

NOTE. – The Accounts Officer should enclose with the Form a copy of the report or statement of the applicant's case if the applicant has been granted invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to actual age, or has been refused commutation on medical grounds.

Note:- The Principal rules were published vide number S.O. 930 (E) dated the 3rd December, 1993 and subsequently amended as follows:-

S. No.	Notification number	Date	Published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii). S.O. No.	Date of Publication
1	2	3	4	5
1.	F(E)III/2003/PN1/38 (Amendment)	30.12.2003	1489(E)	30.12.2003
2.	F(E)III/2003/PN1/25	24.01.2005	400	05.02.2005
3.	2011/F(E)III/1(2)/13	14.01.2013		

[F. No.2015/F(E)III/1(2)/8]

TANVEER AHMED, Executive Director Finance (Estt.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.